बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संचिका सं० – 1/WRD/IT/11/20/2023 – 143 पटना, दिनांक – 01/06/2026

–:: आदेश ::–

Canal Indent-Discharge Monitoring Portal (CIDMP) में सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग द्वारा इन-हाउस आधार पर सुधारात्मक एवं संवर्द्धन कार्य सम्पादित करते हुए, नहर प्रणालियों से सम्बंधित जन शिकायत निवारण हेतु "नहर मित्र" Web Portal एवं Mobile Application, तथा इनके संचालन हेतु "CIDMP Handler" स्तर-आधारित प्राधिकार-तंत्र (Tiered Access Login Module) विकसित किये गये हैं। उक्त समस्त प्रणालियों के समुचित कार्यान्वयन एवं सतत् अनुश्रवण हेतु, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को पदेन (Ex-officio) नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. नामित नोडल पदाधिकारी के निम्नांकित दायित्व निर्धारित किये जाते हैं :–

(क) विकसित पोर्टल/ऐप में प्रविष्ट नहर सम्बंधी समस्त आँकड़ों (Line Diagram सहित) तथा पोर्टल के हिन्दी भाषा-रूपान्तरण की शुद्धता का क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल के माध्यम से उपलब्ध कराये गये आँकड़ों से मिलान कर यह सुनिश्चित करना कि पोर्टल/ऐप में प्रविष्ट आँकड़े एवं भाषायी रूपान्तरण सही एवं प्रामाणिक हैं; तत्पश्चात् पोर्टल/ऐप के विधिवत् उद्घाटन एवं आम-जन में इसके उपयोगार्थ प्रचार-प्रसार सम्बन्धी कार्रवाई सुनिश्चित कराना;

(ख) किसानों एवं आम-जन से प्राप्त शिकायतों तथा उनपर विभागीय अभियंताओं द्वारा कृत कार्रवाई के निस्तारण-समय एवं लम्बित स्थिति का सतत् अनुश्रवण;

(ग) नहरों/बराजों में जल-प्रवाह, इंडेंट एवं डिस्चार्ज से सम्बंधित आँकड़ों की कार्यपालक अभियंताओं द्वारा सतत् प्रविष्टि एवं उनकी प्रामाणिकता का अनुश्रवण; तथा नहर प्रणालियों के Line Diagram के भावी विस्तार (Field Channel/Sub-Minor स्तर तक) हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल के साथ समन्वय स्थापित करना; एवं

(घ) आवश्यकतानुसार पोर्टल/ऐप के समुचित संचालन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों/सम्बंधित अंचलों के साथ समन्वय स्थापित करना तथा सूचना प्रावैधिकी केन्द्र को अपेक्षित तकनीकी सहयोग/संशोधन हेतु सूचित करना।

3. आदेश पर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

01/06/26

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार

संचिका सं० – 1/WRD/IT/11/20/2023 – 143 पटना, दिनांक – 01/06/2026

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल - 2, जल संसाधन विभाग, पटना।
3. अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल - 3, जल संसाधन विभाग, पटना।

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार

संचिका सं० – 1/WRD/IT/11/20/2023 – 143 पटना, दिनांक – 01/06/2026

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ समर्पित :–

1. माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव ।
2. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव।
3. विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
4. सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार।
5. सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार।
6. निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना।
7. मुख्य अभियंता (निदेशक), भौतिक प्रतिमान केन्द्र, वीरपुर।
8. सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार।
9. सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना।
10. संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र (FMISC), पटना।
11. निदेशक, क्रय भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना।
12. उड़नदस्ता अंचल-1 एवं उड़नदस्ता अंचल-2, जल संसाधन विभाग, पटना।
13. अधीक्षण अभियंता, कमांड क्षेत्र विकास निदेशालय, पटना।
14. सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना।
15. सभी उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार।
16. सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार।
17. सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
18. जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार।

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार

संचिका सं० – 1/WRD/IT/11/20/2023 – 143 पटना, दिनांक – 01/06/2026

प्रतिलिपि : (क) कार्यपालक अभियंता, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु; एवं (ख) IT Manager, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सभी को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार